



## अधिसूचना

मगध विश्वविद्यालय अन्तर्गत इकाइयों के सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/प्रोफेसर इन्चार्ज/निदेशक, सभी तकनीकी/व्यवसायिक/स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थानों को एतद् द्वारा निदेशित किया जाता है कि वे पूर्णतः सुनिश्चित करें कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम में नामांकन आपके महाविद्यालय/विभाग/संस्थान में उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित विनियमन के अन्तर्गत संबद्धता प्राप्त है, तथा वैसे तकनीकी पाठ्यक्रम जिसमें **A.I.C.T.E.** द्वारा निर्धारित अनुमान्यता प्राप्त करना आवश्यक हो, अनुमान्यता प्राप्त है, तथा संकायावार पाठ्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विषयों का संबंधन सत्रान्तर्गत एवं सीटों के निर्धारण के अनुरूप ही छात्र-छात्राओं का नामांकन लिया गया है।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि बिना संबंधन एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा जारी **Ordinance & Regulation** के किसी महाविद्यालय/विभाग/संस्थान द्वारा कोई नामांकन नहीं लिया गया है। बिना संबंधन तथा **Ordinance & Regulation** के लिया गया नामांकन अवैध माना जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में अवैध रूप से नामांकित छात्र-छात्राओं का पंजीयन व परीक्षा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देशों व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कार्यान्वयन नहीं होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय/विभाग के प्रधानाचार्य/प्रभारी प्राचार्य/प्रोफेसर इन्चार्ज/निदेशक इसके लिए जवाबदेह होंगे, तथा भविष्य में इस संबंध में किसी भी प्रकार का मामला संज्ञान में आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

दिनांक: 02/12/2023

ज्ञापांक: CEo 1691/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निर्देशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. विशेष पदाधिकारी (विश्वविद्यालय), राजभवन, पटना।
5. सभी प्रधानाचार्य/प्रभारी ईन्चार्ज/प्रोफेसर इन्चार्ज, अंगीभूत, अल्पसंख्यक एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
6. सभी निदेशक/व्यवसायिक शिक्षण संस्थान वित्त पोषित विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
7. नोडल पदाधिकारी, वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
8. माननीय कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, म0 वि0 वि0, बोधगया।
9. संबंधित छात्र-छात्राएँ एवं जनसामान्य।
10. सभी संबंधित व्यक्ति।

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।